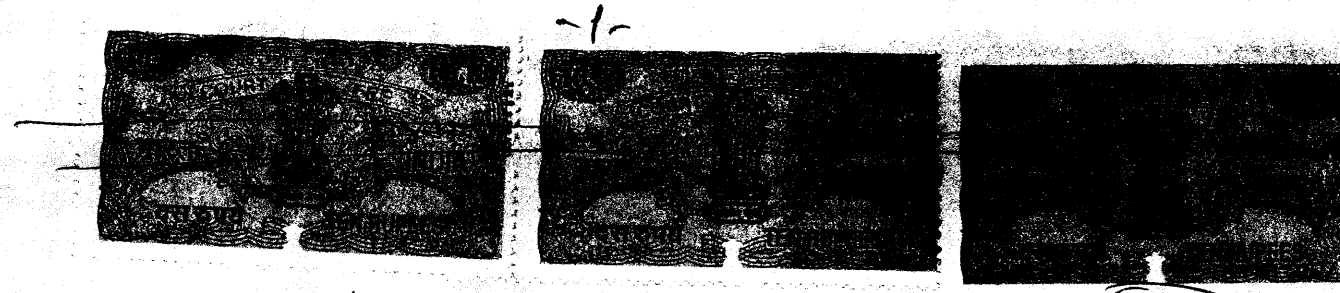

177

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी प्र०क्र० R 618-I-17 जिला-सिवनी

गनाराम पिता गोंडू जाति गोंड
निवासी ग्राम खमरिया रै० रा.नि.मं. भोमा
तहसील व जिला सिवनी म०प्र० ----- आवेदक

विरूद्ध

म०प्र० शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म०प्र० ---- अनावेदक

द्वारा आज दि 2-3-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 56/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 3-11-2016 से व्यथित होकर ।

09/02/17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि -

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2- यहकि, कलेक्टर, सिवनी के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया था कि आवेदक ग्राम मुण्डरई प०ह०नं० 57 रा०नि०मं० भोमा स्थित भूमि खसरा नं० 18 रकबा 1.64 हेक्टर का भूमिस्वामी है । उक्त भूमि के अतिरिक्त आवेदक के परिवार में 3.63 हेक्टर भूमि और है । आवेदक को बैंक के ऋण एवं अपनी पत्नी के नाम से क्रय की गई भूमि के कर्जे की वापिसी हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाये । किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति पर विधिवत विचार किए बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 618-एक/17 जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 56/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 03-11-2016 से व्यथित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है जिसमें आवेदक द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की ग्राम मुण्डरई प.ह.नं. 57 रा.नि.मं. भोमा स्थित भूमि खसरा नं. 18 रकबा 1.64 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के 2 वर्ष से अधिक समय उपरांत यह मानते हुए कि आवेदक ने विक्रय की अनुमति हेतु ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किए हैं, आवेदन को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस	

निग०- 618-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में कलेक्टर का आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है अपितु आवेदक द्वारा क्रय की गई है । आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण वास्तविक है । आवेदक द्वारा विक्रय की अनुमति हेतु यह आधार लिया गया है कि आवेदक द्वारा अपनी पत्नि के नाम से भूमि क्रय की गई है, जिसके कर्जे की वापिसी एवं बैंक के ऋण की वापिसी हेतु उसे धनराशि की आवश्यक है । आवेदक द्वारा दिया गया उक्त आधार विक्रय की अनुमति हेतु पर्याप्त है प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा स्वअर्जित भूमि है शासकीय भूमि नहीं है चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि आवेदक को उसकी स्वअर्जित प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-11-16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 618-एक/17 **जिला - सिवनी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम मुण्डरई प.ह.नं. 57 रा.नि.मं. भोमा स्थित भूमि खसरा नं. 18 रकबा 1.64 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य को विक्रय किए जाने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :- 1- प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	